143

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 499-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-1-14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण क्रमांक 703/अ-6/2010-11.

काशीराम तनय भदई अहिरवार
निवासी ग्राम पिपरट तहसील जतारा,
जिला टीकमगढ़ म0प्र0 ---- आवेदक

विरूद्ध

महिला विलोसा बेवा सूरज उर्फ सूरजभान अहिरवार
निवासी ग्राम पिपरट तहसील जतारा
जिला टीकमगढ़ म0प्र0 ---- अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता अशोक राठोर ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 20-7-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सार के प्रकरण क्रमांक 703/अ-6/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30-1-14 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार, जतारा द्वारा, नामांतरण पंजी क्रमांक 13 में पारित आदेश दिनांक 13-8-02 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 8 वर्ष उपरांत दिनांक 25-11-10 को अपील पेश की गई । अपील के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन भी पेश किया गया । उक्त

अपील पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी ने कार्यवाही प्रारंभ की एवं अवधि की धारा 5 के आवेदन का निराकरण किए बिना सीधे अंतिम आदेश पारित करते हुए अपील स्वीकार की एवं तहसीलदार का आदेश निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक के पक्ष में तहसीलदार, जतारा द्वारा वर्ष 1974-75 के पूर्व से पिता का कब्जा होने के कारण प्रश्नाधीन भूमि स्थित गाम पिपरट खसरा नं. 338 जुज के रकबा 0.800 हैक्टर पर दिनांक 3-8-2002 को भूमिस्वामी अधिकारों की मंजूरी का पट्टा दिया गया था, जिसका नामांतरण पंजी क्रमांक 13 दिनांक 13-8-2002 को किया गया । आवेदक आज भी भूमि पर कब्जा है । आवेदक द्वारा भूमि में काफी निवेश कर भूमि में विकास एवं सुधार कर लिया है । आवेदक द्वारा भूमि पर कपिल धारा योजना के तहत कूप निर्माण किया जा चुका है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार जतारा के समक्ष इस संबंध में शिकायत भी की थी जिस पर से तहसीलदार ने प्र0क्र0 21/बी-121/2010-11 पंजीबद्ध कर जांच उपरांत यह पाया गया कि नामांतरण पंजी क्रमांक 13 दिनांक 13-8-2002 द्वारा भूमिस्वामी हक में इन्द्राज की गई उक्त पंजी में साथ में खसरा नं. 336 रकबा 0.600 हैक्टर सरजू प्रसाद तनय झूठा अहिरवार का नाम भी इन्द्राज किया गया जिसको पूर्व तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया तब यह नहीं कहा जा सकता कि बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के प्रविष्टि हल्का पटवारी द्वारा रिकार्ड में इन्द्राज की गई है । उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला था कि जो पट्टा प्रस्तुत किया है उसमें तत्कालीन तहसीलदार के हस्ताक्षर एवं सील लगी हुई है । वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का कब्जा है । तथा अनावेदिका को कोई हक प्राप्त नहीं होता है । उक्त आधार पर उन्होंने अनावेदिका का आवेदन निरस्त किया गया था । दोनों अधीनस्थ न्यायालयोंने उक्त तथ्य को अनदेखा किया है ।

यह भी कहा गया कि एस.डी.ओ. के समक्ष अपील अवधि बाह्य थी, विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अवधि बाह्य प्रकरणों में पहले अवधि के प्रश्न का निराकरण

किया जाना चाहिए इसके उपरांत ही गुणदोषों पर विचार किया जा सकता है परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 पर आपत्ति करने के उपरांत उक्त आवेदन का निराकरण नहीं किया गया और सीधे आदेश पारित किया गया है जो अवैधानिक होने से निरस्ती योग्य है ।

यह तर्क दिया गया कि अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में यह कहा गया है कि उसके द्वारा विवादित भूमि के संबंध में शिकायत आवेदन दिनांक 28-7-10 को की गई और जब उसका आवेदन दिनांक 2-11-10 को निरस्त कर दिया तब प्रथम बार उसे जानकारी हो सकी । विलंब के संबंध में दिया गया उक्त आधार मान्य किए जाने योग्य नहीं था और अनुविभागीय अधिकारी को इसी आधार पर अपील निरस्त करना चाहिए था ।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि तहसीलदार द्वारा प्र0क्र0 35/अ-19(ब)/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 3-8-2002को कोई चुनौती नही दी गई है । यह भी कहा गया कि आवंटन आदेशके विरूद्ध संहिता के प्रावधानों के तहत अपील चलने योग्य नहीं थी इस विधिक स्थिति को अनुविभागीय अधिकारी ने अनदेखा किया है । अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत 1990 (एक) एम.पी.वीकली नोट 100, 2002 आर. एन. 254, 2004 आर.एन. 332 का हवाला देते हुए निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों की विवेचना करते हुए आदेश पारित किया है, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय ने की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदिका द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 13 पर पारित आदेश दिनांक 13-8-02 के विरूद्ध प्रथम अपील 8 वर्ष विलब से प्रस्तुत की गई है और अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का निराकरण किये बिना सीधे गुणदोष पर अंतिम आदेश पारित किया गया है जोकि विधिसम्मत कार्यवाही नहीं है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एवं इस न्यायालय द्वारा अनेक न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं कि सर्वप्रथम अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का निराकरण किया जायेगा तत्पश्चात ही गुणदोष के आधार पर आदेश पारित किया जा सकता है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश इसी आधार पर निरसत किये जाने योग्य है ।

6/ अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पूर्व में आवेदक को प्रदान किये गये पट्टे एवं उसके आधार पर नामांतरण पंजी पर दर्ज प्रविष्टि दिनांक 13-8-02 के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा तहसील न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत की गई थी जिस पर से तहसीलदार, जतारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/बी-121/2010-11 पंजीबद्ध कर जांच उपरांत दिनांक 2-11-10 को आदेश पारित कर प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यकों का उल्लेख करते हुए आवेदक के पक्ष में दर्ज नामांतरण पविष्टि में दर्ज प्रविष्टि में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाए जाने से अनावेदिका का शिकायती आवेदन निरस्त किया गया है । इससे स्पष्ट है अनावेदिका को तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 13-8-02 की जानकारी प्रांरभ से रही है और शिकायती आवेदन पत्र निरस्त होने के कारण उसके द्वारा बाद की सोच के कारण उक्त शिकायती आवेदन निरस्त होने के बाद भी एक वर्ष उपरांत अवधि बाह्य अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है इससे भी स्पष्ट है कि अनावेदिका द्वारा सद्भावनापूर्ण अपील विलंब से प्रस्तुत नहीं की गई है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का विधिक दायित्व था कि वे समय सीमा के आधार पर ही अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त करते ।

7/ जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है अभिलेख में आवेदक की ओर से उसके पक्ष में जारी पट्टे की प्रति संलग्न है जिसमें आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं तथा उस पर प्रकरण क्रमांक अंकित है ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि आवेदक को प्रदाय किए गए प्रश्नाधीन भूमि के पट्टे के संबंध में कोई प्रकरण ही प्रचलित नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में गुणदोष पर भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । जहां तक अपर

आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के विधि विरूद्ध आदेश की पुष्टि की गई है इसलिए उनका आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 703/अ-6/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30-1-14 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 31-5-11 निरस्त किए जाते हैं । तहसीलदार, जतारा को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर पूर्ववत अंकित किया जाये और तद्नुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर